संख्या– 269 / एक–10–2020–33(35) / 2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा, सीतापुर एवं गाजीपुर ।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांक 05 जून, 2020

विषयः– ओलावृष्टि / वर्षा से हुई फसल क्षति / जनहानि / पशु हानि आदि के सापेक्ष प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद इटावा, सीतापुर एवं गाजीपुर में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति / जनहानि / पशु हानि आदि के सापेक्ष प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन **धनराशि रू0 4487.02 / –(रूपये चौवालिस करोड़ सत्तासी लाख दो हजार मात्र) सम्बन्धित** जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कम	जनपद का नाम / पत्र संख्या व दिनांक	आपदा का प्रकार / मद	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	5
1	इटावा, पत्रांक–702, दिनांकः–02.05.2020	ओलावृष्टि–05	33.82
2	सीतापुर, पत्रांक–111, दिनांक–03.05.2020	ओलावृष्टि–05	2787.67
3	गाजीपुर, पत्रांक–314, दिनांक–07.05.2020	ओलावृष्टि–05	1665.53
		योग	4487.02
			(रूपये चौवालिस करोड़ सत्तासी लाख दो हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803 / दस–2013–10(28) / 2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त / जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। **टीआर–27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार की के पत्र सं0–32–7 / 2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत

प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावित हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) उक्त आवंटित/स्वीकृत धनराशि के वितरण का स्थलीय सत्यापन भी करा लिया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(7) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/**दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।**

(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबध कराया जाये।

(11)- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुरस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्यय व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-05-ओलावृष्टि से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

04/6/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 269(1)/**एक-10-2020-33(35)/2018**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-05/06/2020

प्रेषण संख्या:- 269
आवंटन आदेश संख्या:- 039-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
05 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3382000 3382000	3382000 3382000
2	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	166553000 166553000	166553000 166553000
3	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	278767000 278767000	278767000 278767000
	योग	वर्तमान प्रगामी	448702000 448702000	448702000 448702000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवालीस करोड़ सत्तासी लाख दो हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौवालीस करोड़ सत्तासी लाख दो हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन